

**HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR**



S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 16833/2025

Siyaram S/o Shri Prahlad, Aged About 28 Years, R/o Kabligarh,
Tehsil Thanagazi, District Alwar, Rajasthan. (At Present Confined
At Central Jail, Alwar)

-----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan, Through Pp

-----Respondent

Connected With

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 590/2026

Suresh S/o Shrawanlal, Aged About 43 Years, R/o Kabligadh,
Tehsil Thanagaji, District Alwar (Raj.). (At Present Accused
Petitioner Confined In Central Jail Alwar).

-----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan, Through Pp

-----Respondent

For Petitioner(s)	:	Mr. Rajneesh Gupta Mr. Rajpal Yogi
For Respondent(s)	:	Mr. Amit Kumar Gupta, PP

HON'BLE MRS. JUSTICE SHUBHA MEHTA
Order

20/02/2026

प्रार्थी/अभियुक्तगण की ओर से धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के प्रावधानों के अंतर्गत दो पृथक-पृथक जमानत प्रार्थना-पत्र पुलिस थाना थानागाजी जिला अलवर में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 99/2024 अपराध अंतर्गत धारा 8/18 एनडीपीएस एक्ट में जमानत का लाभ दिए जाने की प्रार्थना के साथ पेश किए गए हैं। दोनों प्रार्थना-पत्र एक ही प्रकरण से सम्बन्धित होने से इनका निस्तारण इस एक ही आदेश से किया जा रहा है।

बहस सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी सियाराम का तर्क है कि अभियुक्त को प्रकरण में मिथ्या संलिप्त किया गया है। उनका तर्क है कि जिस खेत से

1 किलो 250 ग्राम अफीम के हरे पौधे बरामद होना बताया गया है वह खेत प्रार्थी/अभियुक्त सियाराम की खातेदारी का नहीं है। प्रार्थी/अभियुक्त दिनांक 09.12.2025 से अभिरक्षा में है। उसके विरुद्ध पूर्व का कोई आपराधिक प्रकरण दर्ज नहीं है। आरोप-पत्र पेश हो चुका है। अन्वीक्षा में समय लगेगा। उनका यह भी तर्क है कि पॉपी की पैदावार के सम्बन्ध में धारा 18-सी एनडीपीएस एक्ट लागू होता है जिसमें किसी प्रकार की मात्रा विहित नहीं है। उनका तर्क है कि इस न्यायालय एवं इस न्यायालय की समकक्ष पीठों ने समान तथ्यों से सम्बन्धित प्रकरणों में अभियुक्तगण को जमानत का लाभ प्रदान किया है। अतः प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत का लाभ दिया जाए।

अपने तर्कों के समर्थन में उनकी ओर से निम्न न्यायिक विनिश्चय पेश किए—

1. रूपाराम—बनाम—राजस्थान राज्य
एकलपीठ दाण्डिक विविध जमानत प्रार्थना—पत्र संख्या 10185/2024
2. बालाराम—बनाम—राजस्थान राज्य
एकलपीठ दाण्डिक विविध जमानत प्रार्थना—पत्र संख्या 5293/2024
3. धर्मलाल—बनाम—राजस्थान राज्य
एकलपीठ दाण्डिक विविध जमानत प्रार्थना—पत्र संख्या 7567/2024
4. जगदीश—बनाम—राजस्थान राज्य
एकलपीठ दाण्डिक विविध जमानत प्रार्थना—पत्र संख्या 4521/2024
5. सांवरमल—बनाम—राजस्थान राज्य
एकलपीठ दाण्डिक विविध जमानत प्रार्थना—पत्र संख्या 9570/2025
6. छुट्टनलाल—बनाम—राजस्थान राज्य
एकलपीठ दाण्डिक विविध जमानत प्रार्थना—पत्र संख्या 1011/2025

प्रार्थी/अभियुक्त सुरेश के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि अभियुक्त को प्रकरण में मिथ्या संलिप्त किया गया है। जिस खेत से पॉपी के हरे पौधे बरामद होना बताया है उसका वह खातेदार नहीं है। उसके द्वारा उस खेत को बंटाई पर काश्त किया जाना बताया गया है परंतु उसके संबंध में कोई दस्तावेज सामने नहीं आया है। वह तो केवल कृषि मजदूर है। उसके विरुद्ध पूर्व का एक आपराधिक मामला धारा 323, 341 आईपीसी का रहा है जिसमें वह दोषमुक्त हो चुका है। एनडीपीएस का कोई मामला

उसके विरुद्ध दर्ज नहीं रहा है। वह दिनांक 28.11.2025 से अभिरक्षा में है, आरोप-पत्र पेश हो चुका है। अन्वीक्षा में समय लगेगा। अतः उसे जमानत का लाभ दिया जाए।

इसके विपरीत विद्वान लोक अभियोजक का तर्क है कि अभियुक्तगण के आधिपत्य से खेत में गेहूं की फसल के बीच में अवैध रूप से बिना लाइसेंस पॉपी की फसल पैदा करने का आक्षेप है एवं एक खेत से 44.97 किलोग्राम तथा दूसरे खेत से 1 किलो 250 ग्राम अफीम के हरे पौधे बरामद हुए हैं। गम्भीर अपराध है। अतः प्रार्थीगण को जमानत का लाभ नहीं दिया जाए।

पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि जिस जमीन से अफीम के पौधे बरामद होना बताए गए हैं, प्रार्थी/अभियुक्तगण उस खेत के खातेदार नहीं हैं। प्रार्थी/अभियुक्त सियाराम दिनांक 09.12.2025 एवं सुरेश दिनांक 28.11.2025 से अभिरक्षा में हैं। आरोप-पत्र न्यायालय में पेश हो चुका है। प्रार्थी/अभियुक्त सियाराम के विरुद्ध पूर्व का कोई आपराधिक प्रकरण लम्बित होना सामने नहीं आया है। प्रार्थी/अभियुक्त सुरेश को पूर्व के लम्बित प्रकरण अपराध धारा 323, 341 आईपीसी में दोषमुक्त किया जाना बताया गया है। अन्य कोई प्रकरण दर्ज होना नहीं बताया गया है। प्रकरण की अन्वीक्षा में समय लगेगा। अतः प्रकरण के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों में विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण/ अभियुक्तगण द्वारा प्रस्तुत किये गये तर्कों को ध्यान में रखते हुए प्रकरण के इस प्रक्रम पर मामले के गुणावगुण पर कोई राय व्यक्त किए बिना प्रार्थी/अभियुक्तगण के दोनों जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

परिणामतः प्रार्थी/अभियुक्तगण **1. सियाराम पुत्र प्रहलाद एवं 2. सुरेश पुत्र श्रवणलाल** की ओर से प्रस्तुत दोनों जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किए जाते हैं और आदेश दिया जाता है कि यदि प्रत्येक प्रार्थी/अभियुक्त इस मामले में विद्वान विचारण न्यायालय के संतोषप्रद, उनके न्यायालय में नियत तिथियों पर एवं जब भी उसे तलब किया जावे, उपस्थिति हेतु **एक लाख रुपये का व्यक्तिगत बंधपत्र व पचास-पचास हजार रुपये की दो सुदृढ़ एवं विश्वसनीय प्रतिभूतियां** प्रस्तुत करे तथा उसकी किसी अन्य प्रकरण में आवश्यकता न हो तो उसे अविलम्ब जमानत पर रिहा कर दिया जावे।

(SHUBHA MEHTA),J